



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-07022025-260822
CG-DL-E-07022025-260822

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 655]

नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 7, 2025/माघ 18, 1946

No. 655]

NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 7, 2025/MAGHA 18, 1946

रसायन और उर्वरक मंत्रालय

(औषध विभाग)

(राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण)

आदेश

नई दिल्ली, 7 फरवरी, 2025

का.आ. 659(अ).— औषध विभाग द्वारा औषध (मूल्य नियंत्रण), 2013 के पैरा 31 के अंतर्गत पारित इसमें नीचे सारणी के स्तंभ (7) में विनिर्दिष्ट आदेशों के द्वारा जारी पुनर्विलोकन आदेशों के संदर्भ में दिये गए निर्देशों के कार्यान्वयन में और भारत सरकार के रसायन और उर्वरक मंत्रालय द्वारा जारी का. आ. 1394(अ) तारीख 30 मई, 2013 और का. आ. 5249(अ) तारीख 11 नवम्बर, 2022 के साथ पठित औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के पैरा 4, 6, 10, 11, 14, 16, 17 और 18 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और सारणी के स्तंभ (8) में विनिर्दिष्ट संख्या और तारीख, भारत सरकार के रसायन और उर्वरक मंत्रालय, (राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण) के आदेशों के अधिक्रमण में, उन बातों के सिवाय, अधिक्रान्त करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण के पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (जिसको संक्षिप्त रूप में एनपीपीए कहा जाता है), इसके द्वारा वर्ष 2024 के लिए 0.00551% की दर से डब्ल्यूपीआई प्रभाव सहित कीमत को तय/संशोधित करता है जैसा कि नीचे की सारणी के स्तंभ (6) में विनिर्दिष्ट अधिकतम कीमत को उक्त सारणी के स्तंभ (3) और (4) में क्रमशः तत्स्थानी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट खुराक रूप एवं प्रबलता और इकाई

सहित उस सारणी के स्तंभ (2) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट अनुसूचित विनिर्मितियों में से प्रत्येक पर लागू वस्तु एवं सेवा कर, यदि कोई है, को छोड़कर अधिकतम कीमत के रूप में नियत करती है:

सारणी

क्र. स.	दवाइयाँ	खुराक रूप एवं प्रबलता	इकाई	अधिकतम कीमत (रु.) एनएलईएम 2022 के अंतर्गत	पुनर्विलोकन आदेश और 0.00551% डब्ल्यूपीआई के अनुसार संशोधित अधिकतम मूल्य (रुपये में)	पुनर्विलोकन आदेश सं. एवं तारीख	मौजूदा का. आ. सं. एवं तारीख
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	एज़िथ्रोमाइजसन	गोली 500 मिलीग्राम	1 गोली	11.65	11.67	31015/43/2023 मूल्य निर्धारण तारीख 04.10.2024	1547(अ) तारीख 26.03.2024 (क्र. स. 68)
2	एमोक्ससिलीन (ए) +क्लैवुलानिक एसिड (बी)	पाउडर फोर इंजेक्शन 1 ग्राम(ए) + 200 मिलीग्राम (बी)	1 वाईल	140.66	141.65	31015/34/2023 मूल्य निर्धारण तारीख 04.10.2024	1547(अ) तारीख 26.03.2024 (क्र. स. 41)

नोट:

- (क) सरकार द्वारा इस प्रकार नियत की गई और अधिसूचित की गई अधिकतम कीमत (वस्तु एवं सेवा कर, जो लागू हों सहित) से अधिक कीमत पर अनुसूचित विनिर्मितियों के ब्रांडेड या जेनेरिक या दोनों प्रकारों को बेच रहे अनुसूचित विनिर्मितियों के सभी विनिर्माता, उपर्युक्त सारणी के स्तंभ (6) में वर्णित अधिकतम कीमत (वस्तु एवं सेवा कर, जो लागू हों सहित) से अधिक सभी ऐसी विनिर्मितियों की कीमत का अधोमुखी पुनरीक्षण करेंगे।
- (ख) मौजूदा निर्माताओं को उपर्युक्त कथित अनुसूचित विनिर्मितियों के अधिकतम खुदरा कीमत उपर्युक्त सारणी के स्तंभ (6) में विनिर्दिष्ट अधिकतम कीमत वस्तु एवं सेवा कर सहित से कम है तो, जहां कहीं भी लागू हो, औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के पैराग्राफ 13(2) के अनुसार उसके मौजूदा अधिकतम खुदरा कीमत को बनाए रखना होगा।
- (ग) अगर निर्माताओं ने उपर्युक्त सारणी के स्तंभ (6) में वर्णित अधिकतम कीमत पर सरकार को वास्तव में भुगतान किया है या यह देय है तो वे वस्तु एवं सेवा कर को जोड़ सकते हैं।
- (घ) औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के पैराग्राफ 11 में दिए गए प्रावधानों के तहत संबंधित निर्माताओं को उपर्युक्त सारणी के स्तंभ (6) में विनिर्दिष्ट अधिकतम कीमत के आधार पर अनुसूचित विनिर्मितियों के पैकों के लिए अधिकतम कीमत निर्धारित करें। निर्माता औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के पैराग्राफ 24 के तहत फॉर्म - V में अधिसूचना की तारीख से आईपीडीएमएस के माध्यम से भरकर एनपीपीए को एक मूल्य सूची जारी करें तथा उसकी कॉपी राज्य औषधि नियंत्रकों और विनिर्माता वितरकों को जारी करें।
- (ङ) औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के पैरा 24 (4) के अनुसार प्रत्येक फुटकर विक्रेता और वितरक विनिर्माता द्वारा दिए गए रूप में ऐसे परिसर, जहां कारोबार को इस प्रकार किया जा रहा है कि उससे परामर्श के इच्छुक

किसी व्यक्ति के लिए पहुंच आसान हो, वहां उसके किसी सुस्पष्ट भाग पर कीमत सूची और पूरक सूची, यदि कोई हो, को प्रदर्शित करेगा।

- (च) उपर्युक्त सारणी में यथा विनिर्दिष्ट खुदरा या प्रबलता या दोनों के साथ अनुसूचित विनिर्मिति का कोई मौजूदा विनिर्माता औषध मूल्य नियंत्रण आदेश, 2013 के पैरा 2 (1) (यू) के अनुसार कोई नई औषधि को लांच करता है तो ऐसे मौजूदा विनिर्माता की औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश 2013 की अनुसूची- II के अंतर्गत यथा विनिर्दिष्ट फार्म- I में एनपीपीए को ऐसी नई औषधि के पूर्व मूल्य अनुमोदन हेतु आवेदन करना होगा।
- (छ) उपर्युक्त अनुसूचित विनिर्मितियों के निर्माता उत्पादन/आयात और बिक्री के संबंध में औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के अनुसूची II के फॉर्म III को आईपीडीएमएस के माध्यम से भरकर एनपीपीए को हर तिमाही की रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। कोई निर्माता उपर्युक्त अनुसूचित विनिर्मितियों का उत्पादन बन्द करने का इच्छुक हो तो वह इसके सम्बन्ध में के उत्पादन और आयात को बन्द करने की तिथि से छः महीने पहले अनुसूची II के फॉर्म IV में भरकर एनपीपीए को प्रस्तुत करेगा।
- (ज) विनिर्माता या विपणन कंपनी, उपरोक्त कथित सारणी में दर्शाये अधिकतम मूल्य और शर्तों का पालन नहीं करती हैं तो वे आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के साथ पठित डीपीसीओ, 2013 के प्रावधानों के अधीन ब्याज सहित अधिप्रभारित राशि को जमा करने के लिए उत्तरदायी होंगे।
- (झ) इस आदेश में उपरोक्त सारणी के स्तंभ (2) में की गई तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट ऐसी विनिर्मितियों के पैकों की अधिकतम कीमत नियत होने के परिणामस्वरूप, अधिकतम या खुदरा मूल्य निर्धारित आदेश यदि कोई हो, जो कि इस आदेश से पूर्व जारी हुए है, उनका स्वतः ही अधिक्रमण हो जाएगा।

[क्रां. सं./261/129/2025/एफ/फा. सं. 8(129)/2025/डीपी/एनपीपीए-डिवी.-II]

महावीर सैनी, उप निदेशक

MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS

(Department of Pharmaceuticals)

(NATIONAL PHARMACEUTICAL PRICING AUTHORITY)

ORDER

New Delhi, the 7th February, 2025

S.O. 659(E).— In implementation of directions of review order issued by the Department of Pharmaceuticals (DOP) under para 31 of Drugs (Prices Control) Order, 2013 vide order specified in column (7) of the table below and in exercise of the powers conferred by paragraphs 4, 6, 10, 11, 14, 16, 17 and 18 of the Drugs (Prices Control) Order, 2013, read with S.O. 1394(E) dated the 30th May, 2013 and S.O. 5249(E) dated 11th November, 2022 issued by the Government of India in the Ministry of Chemicals and Fertilizers, and in supersession of the Order of the Government of India in the Ministry of Chemicals and Fertilizers (National Pharmaceutical Pricing Authority) S.O. No. and date specified in the Column (8) of the table, the National Pharmaceutical Pricing Authority, hereby fixes/revises the price including WPI impact @0.00551% for the year 2024 as specified in column (6) of the table herein below as ceiling price exclusive of Goods and Services Tax applicable, if any, in respect of the Scheduled formulation specified in the corresponding entry in column (2) of the said Table with the dosage form & strength and unit specified respectively in the corresponding entries in columns (3) and (4) thereof:

TABLE

Sl. No.	Medicines	Dosage form & Strength	Unit	Ceiling Price under NLEM, 2022 (Rs.)	Revised Ceiling price based on Review Order & considering WPI @0.00551% (Rs.)	Review Order number and date	Existing SO number and date
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Azithromycin	Tablet 250 mg	1 Tablet	11.65	11.67	31015/43/2023- Pricing dated 04.10.2024	1547(E) dated 26.03.2024 (Sl. No. 68)
2.	Amoxicillin (A) + Clavulanic acid (B)	Powder for Injection 1 g (A) +200mg (B)	1 vial	140.66	141.65	31015/34/2023- Pricing dated 04.10.2024	1547(E) dated 26.03.2024 (Sl. No. 41)

Note:

- All manufacturers of scheduled formulations, selling the branded or generic or both the versions of scheduled formulations at a price higher than the ceiling price (plus Goods and Services Tax as applicable) so fixed and notified by the Government, shall revise the prices of all such formulations downward not exceeding the ceiling price specified in column (6) in the above table plus Goods and Services Tax as applicable, if any.
- All the existing manufacturers of above-mentioned scheduled formulations having MRP lower than the ceiling price specified in column (6) in the above table plus Goods and Services Tax as applicable, if any, shall continue to maintain the existing MRP in accordance with paragraph 13 (2) of the DPCO, 2013.
- The manufacturers may add Goods and Services Tax only if they have paid actually or if it is payable to the Government on the ceiling price mentioned in column (6) of the above said table.
- The ceiling price for a pack of the scheduled formulation shall be arrived at by the concerned manufacturer in accordance with the ceiling price specified in column (6) of the above table as per provisions contained in paragraph 11 of the Drugs (Prices Control) Order, 2013. The manufacturer shall issue a price list in Form-V from date of Notification as per paragraph 24 of the DPCO, 2013 to NPPA through IPDMS and submit a copy to State Drug Controller and dealers.
- As per para 24(4) of DPCO 2013, every retailer and dealer shall display price list and the supplementary price list, if any, as furnished by the manufacturer, on a conspicuous part of the premises where he carries on business in a manner so as to be easily accessible to any person wishing to consult the same.
- Where an existing manufacturer of scheduled formulation with dosage or strength or both as specified in the above table launches a new drug as per paragraph 2(1)(u) of the DPCO, 2013 such existing manufacturer shall apply for prior price approval of such new drug to the NPPA in Form I as specified under Schedule-II of the DPCO, 2013.
- The manufacturers of above said scheduled formulations shall furnish quarterly return to the NPPA, in respect of production / import and sale of scheduled formulations in Form-III of Schedule-II of the DPCO, 2013 through IPDMS. Any manufacturer intending to discontinue production of above said scheduled formulation shall furnish information to the NPPA, in respect of discontinuation of production and / or import of scheduled formulation in Form-IV of Schedule-II of the DPCO, 2013 at least six months prior to the intended date of discontinuation.
- The manufacturers not complying with the ceiling price and notes specified hereinabove shall be liable to deposit the overcharged amount along with interest thereon under the provisions of the Drugs (Prices Control) Order, 2013 read with Essential Commodities Act, 1955.
- Consequent to the issue of ceiling prices of such formulations as specified in column (2) of the above table in this notification, the price order(s) fixing ceiling or retail price, if any, issued prior to the above said date of notification, stand(s) superseded.

[PN/261/129/2025/F/F. No. 8(129)/2025/D.P./NPPA-Div.-II]

MAHAVEER SAINI, Dy. Director



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-20022025-261201
CG-DL-E-20022025-261201

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 903]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 20, 2025/फाल्गुन 1, 1946

No. 903]

NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 20, 2025/PHALGUNA 1, 1946

रसायन और उर्वरक मंत्रालय

(औषध विभाग)

(राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण)

शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, 20 फरवरी, 2025

का.आ. 910(अ).—पुनर्विलोकन आदेश के आधार पर अधिकतम मूल्य में संशोधन से संबंधित भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण की दिनांक 7 फरवरी, 2025 की अधिसूचना का.आ. 659(अ) के हिन्दी संस्करण में, एजिथ्रोमाइसिन से संबंधित प्रविष्टि क्रम संख्या 1 के स्तंभ (3) में खुराक रूप और प्रबलता में “गोली 500 मिलीग्राम” के स्थान पर “गोली 250 मिलीग्राम” पढ़ा जाए।

[कां. सं./261/129/2025/एफ/फा. सं. 8(129)/2025/डीपी/एनपीपीए-डिवी.-II]

महावीर सैनी, उप निदेशक

MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS**(Department of Pharmaceuticals)****(NATIONAL PHARMACEUTICAL PRICING AUTHORITY)****CORRIGENDUM**

New Delhi, the 20th February, 2025

S.O. 910(E).—In the National Pharmaceutical Pricing Authority's notification S.O. 659(E) of 7th February 2025 published in the Gazette of India, Extraordinary relating to revision of ceiling price based on review order, in **Hindi version**, the dosage form and strength in column (3) for Entry at Sl. No. 1 related to Azithromycin shall be read as “Tablet 250mg” in place of “Tablet 500mg”.

[PN/261/129/2025/F/F. No. 8(129)/2025/D.P./NPPA-Div.-II]

MAHAVEER SAINI, Dy. Director